झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा — चतुर्दश(शीतकालीन)सत्र

संख्या-02 — बुधवार, दिनांक-26 दिसम्बर, 2018 ई०।

समय-11.00 बजे पूर्वाह्न से 2.44 बजे अप० तक ।

(माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

1.विविध चर्चायें:-

i- माननीय अध्यक्ष महोदय के आसन ग्रहण करते ही पक्ष-विपक्ष के कतिपय माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर कुछ-कुछ कहने लगे जो भारी शोरगुल के कारण स्पष्ट सुनाई नहीं दे रहा था। इसपर आसन द्वारा नाराजगी व्यक्त की गयी और सभी माननीय सदस्यों से उन्होंने सहयोग की अपेक्षा की। विपक्ष के माननीय सदस्य, श्री जगरनाथ महतो सहित अन्य कतिपय माननीय सदस्यों द्वारा स्लोगनयुक्त पोशाक पहनकर सदन में आने पर भी नाराजगी व्यक्त करते हुए आसन द्वारा उनसे ऐसा नहीं करने हेतु आग्रह किया गया,

ii- माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव ने आसन से आग्रह किया कि राज्य के पारा शिक्षकों, मनरेगा कर्मियों तथा राजस्व कर्मी अपनी माँगों को लेकर हड़ताल पर डटे हुए है, अतएव उनकी समस्याओं पर सदन में लाये गये कार्य स्थगन प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाय,

iii- माननीय सदस्य, श्री राधा कृष्ण किशोर ने आसन से आग्रह किया कि पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में पारा शिक्षकों की समस्याओं से सम्बन्धित ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया गया है जो आज की कार्यसूची में अंकित है, अतएव इसपर विशेष वाद-विवाद कराये जाने हेतु उन्होंने आसन से आग्रह किया। (इस बीच झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के कतिषय माननीय सदस्य सदन की वेल में आकर नारेबाजी करने लगे जिससे सत्तापक्ष के भी कई माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर अपना विरोध व्यक्त करने लगे, इस कारण सदन में भारी शोरगुल और पक्ष-विपक्ष में नोंकझोंक होने लगा।),

iv- आसन से पुकारे जाने पर माननीय नेता प्रतिपक्ष, श्री हेमन्त सोरेन ने भी पारा शिक्षकों की समस्याओं से सदन को अवगत कराया और इसे दूर करने के निमित्त आसन के माध्यम से सरकार से अनुरोध किया,

v- इस बीच पक्ष विपक्ष के माननीय सदस्यों के बीच नोंकझोंक होने लगा जिसपर आसन द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुए नेता प्रतिपक्ष की बातों को धैर्यपूर्वक सुनने का आग्रह किया गया साथ ही सदन में राजनीतिक बातें किये जाने के उपरांत पक्ष द्वारा आपत्ति दर्ज करने पर भी नाराजगी जतायी,

vi- आसन द्वारा पुकारे जाने पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री, श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा ने राज्य के पारा शिक्षकों की समस्याओं के समाधान हेतु सरकार की मंशा से सदन को अवगत कराया।

क्र० पृ०उ०

2.कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनायें:-

i- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माननीय सदस्य, श्री आलमगीर आलम एवं अन्य माननीय सदस्यों द्वारा राज्य में आंदोलनरत पारा शिक्षकों की समस्याओं के समाधान हेतु लाये गये कार्यस्थगन प्रस्ताव,

ii- झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के श्री जगरनाथ महतो एवं अन्य माननीय सदस्यों द्वारा राज्य में आंदोलनरत पारा शिक्षकों की समस्याओं के समाधान हेतु लाये गये कार्यस्थगन प्रस्ताव,

iii- इसी विषय पर तीसरी सूचना माननीय सदस्य, श्री अरूप चटर्जी, चौथी सूचना माननीय सदस्य, श्री भानू प्रताप शाही, अगली सूचना माननीय सदस्य, श्री कुशवाहा शिवपूजन मेहता से भी प्राप्त होने,

iv- एक अलग सूचना माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव से प्राप्त जिसमें पारा शिक्षकों की समस्याओं के अतिरिक्त प्लस टू शिक्षकों की बहाली में राज्य के बाहरी व्यक्तियों की 80 प्रतिशत नियोजन का भी जिक्र है,

v- माननीय सदस्य, श्री कुणाल षडंगी द्वारा दिये गये कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना में विद्यालयों के विलय की प्रक्रिया के कारण हजारों विद्यालयों के बन्द हो जाने के सम्बन्ध में प्राप्त सूचना, डॉ० इरफान अंसारी द्वारा आंदोलनरत कई पारा शिक्षकों के मर जाने के कारण उनके आश्रितों को नियोजन तथा 25-25 लाख रूपये मुआवजा देने की माँग अपने कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना में अंकित किये जाने सम्बन्धी तथ्यों से आसन द्वारा सदन को अवगत कराया गया।

चूँकि पारा शिक्षकों की समस्याओं, इनके आंदोलन और माँगों के सम्बन्ध में माननीय सदस्य सर्वश्री राधा कृष्ण किशोर, रामचन्द्र सहिस तथा श्री भानू प्रताप शाही से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना आज की कार्यसूची में अंकित है जिसपर चर्चा सम्भव है, साथ ही वित्तीय वर्ष-2018-19 में द्वितीय अनुपूरक बजट पर होनेवाले वाद-विवाद के दौरान भी इसपर चर्चायें संभव है, उपर्युक्त परिस्थिति में माननीय सदस्यों से प्राप्त सम्पूर्ण कार्यस्थन प्रस्ताव की सूचनाओं को आसन द्वारा अमान्य किया गया। इसके उपरांत विपक्ष के प्रायः सम्पूर्ण माननीय सदस्य सदन की वेल में आकर अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए नारेबाजी करने लगे। अतएव अव्यवस्था के माहौल को देखते हुए सदन की कार्यवाही 11.31 बजे पूर्वा० से लेकर 12.30 बजे अप० तक के लिए स्थगित कर दी गयी।

स्थगनोपरांत

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय के आसन ग्रहण करते ही प्रतिपक्ष के कई माननीय सदस्य पूर्व की माँगों को लेकर अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गये। माननीय सदस्य, श्री राज कुमार यादव ने पारा शिक्षकों की समस्याओं के समाधान हेतु वार्ता किये जाने के बजाय उन्हें माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा बर्खास्तगी की धमकी दिये जाने पर आपत्ति जतायी।

3.ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचनायें:-

आसन द्वारा पुकारे जाने पर माननीय सदस्य, श्री राधा कृष्ण किशोर ने अपने द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी, परन्तु भारी शोरगुल होने के कारण इसपर चर्चायें नहीं हो सकी।

कृ०पृ०उ०

4.सभा मेज पर कागजात का रखा जाना:-

आसन द्वारा पुकारे जाने पर श्री सरयू राय, माननीय मंत्री, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 में निहित प्रावधान के आलोक में वर्णित अधिनियम से सम्बन्धित संकल्प संख्या-3297, दिनांक-21.10. 2014, संकल्प संख्या-879, दिनांक-17.03.2015, संकल्प संख्या-3340, दिनांक-26.06.2015, संकल्प संख्या-4358, दिनांक-02.09.2015, संकल्प संख्या-2853, दिनांक-26.08.2015, संकल्प संख्या-3825, दिनांक-03.08.2015, संकल्प संख्या-924, दिनांक-02.03.2017, संकल्प संख्या-1506, दिनांक-07.04.2017 एवं संकल्प संख्या-4530, दिनांक-03.11.2016 की एक-एक प्रति सभा मेज पर रखी गयी।

5.वित्तीय कार्य:-

पुकारे जाने पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री, श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 के द्वितीय अनुपूरक व्यय-विवरणी में सम्मिलित अनुदान की माँगों **"मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग)"** सभा में प्रस्तुत किया गया जिसपर माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव ने अपना कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

इस अवसर पर पुनः सदन में भारी शोरगुल होने लगा जिससे सदन में अव्यवस्था का माहौल कायम हो गया जिसे देखते हुए सभा की **कार्यवाही 12.42 बजे अप० से लेकर भोजनावकाश** तक के लिए स्थगित कर दी गयी।

(अन्तराल)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

इस अवसर पर झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के सर्वश्री रवीन्द्रनाथ महतो, जगरनाथ महतो, चम्पाई सोरेन, नलिन सोरेन सहित अन्य माननीय सदस्य पूर्व की भाँति सदन की वेल में आ गये और अपनी माँगों के समर्थन में नारेबाजी करने लगे जिससे भारी शोरगुल होने लगा।

6.वित्तीय कार्य(क्रमांक-5 से जारी):-

अन्तराल के पूर्व प्रस्तुत द्वितीय अनुपूरक व्यय-विवरणी के लिए रखे गये अनुदान की माँगों पर माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव को अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लिये जाने हेतु आसन से पुकारा गया, लेकिन उन्होंने अपना प्रस्ताव स्पष्टतः वापस नहीं लिया तत्पश्चात् वित्तीय वर्ष 2018-19 के द्वितीय अनुपूरक व्यय-विवरणी की अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिये **"मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग)"**, पर सभा की सहमति हुई तदुपरांत बारी-बारी से गिलोटिन(मुखबन्द) द्वारा अनुदान की माँगें स्वीकृत हुई।

7.विधायी कार्य:-

i-झारखण्ड विनियोग (संख्या-04) विधेयक, 2018

माननीय संसदीय कार्य मंत्री, श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित किया गया।

पुरःस्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

क्र०पृ०उ०

खण्डशः विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड- 02 एवं 03, खण्ड-1, अनुसूची, प्रस्तावना तथा नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तत्पश्चात् **झारखण्ड विनियोग (संख्या-04) विधेयक, 2018** सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

ii-विधेयक की वापसी

माननीय श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री राज पलिवार द्वारा सभा की अनुमति से **"कारखाना (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2017" की वापसी का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जो ध्वनिमत से स्वीकृत हुआ और उक्त विधेयक वापस हुआ।**

iii-झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018

माननीया प्रभारी मंत्री, श्रीमती नीरा यादव द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित किया गया।

पुरःस्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डशः विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड- 02, खण्ड-1, प्रस्तावना तथा नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तत्पश्चात् **झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018** सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

iv-झारखण्ड माल एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018

माननीय संसदीय कार्य मंत्री, श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित किया गया।

पुरःस्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डशः विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड- 02 से 31, खण्ड-1, प्रस्तावना तथा नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तत्पश्चात् झारखण्ड माल एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018 सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

इस अवसर पर विपक्ष के अधिकांशतः माननीय सदस्य अपनी पूर्ववर्त्ती माँगों को लेकर नारेबाजी करते रहे, अतएव अव्यवस्था के माहौल को देखते हुए सदन की कार्यवाही **2.44 बजे अप० से लेकर गुरुवार, दिनांक-27.12.2018 के 11.00 बजे पूर्वा०** तक स्थगित कर दी गयी।

राँची,
दिनांक- 26 दिसम्बर, 2018 ई०।

महेन्द्र प्रसाद,
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा।

झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा
चतुर्दश (शीतकालीन) सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 27.12.2018 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	श्री राजकुमार यादव एवं श्री अरूप चटर्जी स0वि0स0	राज्य के कोल माईनिंग क्षेत्र धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो एवं अन्य सभी जिलों में कोयला खनन् कर कोल माफियों द्वारा गलत तरीके से कोयला खदानों के आस-पास बंद पड़े क्षेत्रों से मजदूरों द्वारा कोयला का अवैध व्यापार में पुलिस प्रशासन से मिलीभगत कर राज्य से बाहरी राज्यों को तस्करी कर भेजी जाती है, कभी कभार छापामारी कर मामले को रफा-दफा कर या जब्त करने की प्रक्रिया आये दिन खबरें अखबारों में छपती रहती है। धनबाद, गिरिडीह के जिलों में अनेकों कोक भट्ठा चल रहे जिसमें भी कोयला तस्करों द्वारा छोट-बड़े पैमाने पर तस्करी कर कोयला की अवैध आपूर्ति की जाती है। हाल के दिनों में राज्य के कई क्षेत्रों में इस तरह की घटनाऐं घट रही है और अभी हाल के दिनों में कोयला लोडिंग/अनलोडिंग व ट्रांसपोर्टिंग के मामले में धनबाद/बाघमारा में कई सफेदपोस लोगों के नाम सामने आये हैं और यह मामला माननीय प्रधान मंत्री के भी संज्ञान में लाया गया इन अवैध कार्यो के -	खान एवं भूतत्व

कृ0पृ030